न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 27/2024

अनवान : –

1. मुन्शीराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– **वादी**

बनाम्

1. रामप्रताप उर्फ चेना उफ चैनाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सुभाष चन्द्र देहडु पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. इमरती पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 6/2/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 493/676 के खसरा न0 858/8 की कुल 0.7520 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 6/7 के खसरा न0 849/1 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 2009/7942 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 570/478 के खसरा न0 661/1 की कुल 2.5420 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 16/13 के खसरा न0 804 की कुल 10.534 हैक्ट भूमि मे से 1/5 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 31/477 की कुल 9.9910 हैक्ट भूमि में से 8326/49955 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 379/376 की कुल 25.6590 हैक्ट भूमि में से 2135/51318 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 137/140 की कुल 3.073 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उक्त वाद भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का बहिब हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 4 जो की वादी की बहिन है उक्त वाद भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है अपने पिता व भाईयों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है। बाद हक त्याग वाद भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 काबिज है। वादी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को काई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी सम्वत 2070–73 रोही मौजा सोनड़ी खाता संख्या 493/676, 6/7, 570/478, 16/13, 31/477, 379/376, रोही मौजा मालिया जमाबंदी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 137/140, वार्ड पंच ग्राम पंचायत सोनड़ी द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी के पिता के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 4 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्म से हक हिस्सा है। प्रतिवादीया संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 493/676 के खसरा न0 858/8 की कुल 0.7520 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 6/7 के खसरा [illegible]/1 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 2009/7942 हिस्सा भूमि व खाता [illegible] न0 661/1 की कुल 2.5420 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या [illegible]/13 के खसरा न0 804 की कुल 10.534 हैक्ट भूमि मे से 1/5 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 31/477 की कुल 9.9910 हैक्ट भूमि में से 8326/49955 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 379/376 की कुल 25.6590 हैक्ट भूमि में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2135/51318 हिस्सा भूमि व रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 137/140 की कुल 3.073 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से उक्त वाद भूमि हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा वार्ड पंच ग्राम पंचायत सोनड़ी द्वारा तस्दीक सदस्य प्रमाण पत्र एवं सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीया संख्या 4 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 493/676 के खसरा न0 858/8 की कुल 0.7520 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 6/7 के खसरा न0 849/1 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 2009/7942 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 570/478 के खसरा न0 661/1 की कुल 2.5420 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 16/13 के खसरा न0 804 की कुल 10.534 हैक्ट भूमि मे से 1/5 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 31/477 की कुल 9.9910 हैक्ट भूमि में से 8326/49955 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 379/376 की कुल 25.6590 हैक्ट भूमि में से 2135/51318 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 137/140 की कुल 3.073 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 6/2/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:32 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 27/2024
अनवान : –

1. मुन्शीराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. रामप्रताप पुत्र चेना उर्फ चैनाराम जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
2. दयाराम पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
3. सुभाष चन्द्र देहडु पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. इमरती पुत्री रामप्रताप जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 27 सन 2024 निर्णय दिनांक 6/2/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वाद मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2070–73 के खाता संख्या 493/676 के खसरा न0 858/8 की कुल 0.7520 हैक्ट भूमि व खाता संख्या 6/7 के खसरा न0 849/1 की कुल 3.9710 हैक्ट भूमि में से 2009/7942 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 570/478 के खसरा न0 661/1 की कुल 2.5420 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 16/13 के खसरा न0 804 की कुल 10.534 हैक्ट भूमि मे से 1/5 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 31/477 की कुल 9.9910 हैक्ट भूमि में से 8326/49955 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 379/376 की कुल 25.6590 हैक्ट भूमि में से 2135/51318 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है, में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व रोही मौजा मालिया तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2072–2075 के खाता संख्या 137/140 की कुल 3.073 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 6/2/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.03.28 11:56:32 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर